Vidyut Sanjay

Amrit Mahotsav of Independence

Public Information

Empowerment of Electricity Consumers

Electricity (Consumers' Rights) Rules

2020 passed by Government of India

All electricity consumers are informed that the Ministry of Power, Government of India has passed the Electricity (Consumers' Rights) Rules, 2020 on 31.12.2020 under Section 176 of the Electricity Act, 2003. Under these rules, the Government of India has provided that no unnecessary/deliberate load shedding shall be done by the power distribution companies.

Under these rules, consumers have been given the right to 24X7* power supply and consumers have the right to claim compensation from the distribution company if the distribution company deliberately resorts to load shedding. The Central Government has also prescribed norms for the maximum time taken by a distribution company for various services which include connection, disconnection, reconnection, shifting, change of consumer category and load, bill related services and resolution of voltage and bill related complaints. Are.

In case of any delay in providing these services, the distribution company will have to provide compensation to the consumers. These rules can be downloaded from https://powermin.gov.in/.

For more information you can visit your respective Discom's website: www.dded.gov.in.

*Except categories of consumers specified by the Commission

G20

विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सार्वजनिक सूचना

विद्युत उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण

भारत सरकार द्वारा पारित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के तहत 31.12.2020 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पारित किया है। इन नियमों के अंतर्गत, भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक / जानबूझकर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।

इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 24X7* विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया है और यदि वितरण कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग का सहारा लेती है तो उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी विभिन्न सेवाओं के लिए वितरण कंपनी द्वारा लिए जाने वाले अधिकतम समय के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिसमें कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन, शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी और लोड में परिवर्तन, बिल संबंधी सेवाएं और वोल्टेज तथा बिल संबंधी शिकायतें का समाधान शामिल हैं।

इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी प्रकार का विलंब होने पर वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। इन नियमों को https://powermin.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंधित डिस्कॉम की वेबसाइट: www.dded.gov.in देख सकते हैं।

*आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं की श्रेणियों को छोड़कर